

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट II/2018-19/1475

दिनांक : 7/8/18

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अलवर/अजमेर/बांसवाडा/बाडमेर/भरतपुर/
बीकानेर/बून्दी/चित्तौडगढ/रतनगढ/धौलपुर/
डूंगरपुर/गंगानगर/जयपुर-प्रथम/जैसलमेर/
जालौर/झालावाड/झुन्झुनू/जोधपुर/करौली/
कोटा/नागौर/पाली/सीकर/सिरोही/टोंक/
उदयपुर/दौसा/स.माधोपुर/हनुमानगढ/बारां/
राजसमैन्द/भीलवाडा/प्रतापगढ (राज0)।

विषय :- महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2018-19 हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के इन्द्राज, छटनी, जांच एवं कम्प्यूटर में फिडिंग आदि की बाबत निर्देश।

प्रसंग :- निदेशालय की विज्ञप्ति क्रमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./2018-19/2018/1342 दिनांक 12.06.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस निदेशालय की सन्दर्भित विज्ञप्ति की और ध्यान आकर्षित कर लेख है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु आपके कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के इन्द्राज, जांच, छटनी एवं मेरिट सूचियां तैयार करने हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय चयन समिति का गठन किया जावे:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, - अध्यक्ष,
2. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी - सदस्य,
3. नर्सिंग अधीक्षक/प्रभारी म.स्वा.कार्य. प्रशिक्षण केन्द्र - सदस्य

निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के इन्द्राज, छटनी जांच एवं मेरिट सूचियां तैयार करने हेतु निम्न निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करे:-

1. प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर उपरोक्त चयन समिति के किसी एक सदस्य द्वारा लघु हस्ताक्षर कर प्राप्ति दिनांक का अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की मार्किंग के बाद पत्र प्राप्ति पंजिका में इन्द्राज किया जावे, तदनुसार आवेदन पत्र पर क्रमांक अंकन किया जावे। अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या का इन्द्राज करे। तत्पश्चात् आवेदन पत्रों की जांच छटनी का कार्य कराया जावे।
3. शैक्षणिक योग्यता के लिये सीनियर सैकेण्डरी (10+2) की अंकतालिकाओं का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्डों से मिलान कर लिया जावे, ओर यदि इस सूची के अतिरिक्त किसी अन्य बोर्ड की अंकतालिका हो तो ऐसे गैर मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी उत्तीर्ण अभ्यर्थी को मेरिट सूची में सम्मिलित नहीं किया जावे। मान्यता प्राप्त बोर्ड की मान्यता के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से जारी नवीनतम अनुदेशिका से निर्धारण किया जावे फिर भी यदि वांछित हो तो निदेशालय स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त कर ले। बोर्ड का सत्यापन अजमेर बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका एवं बोर्ड से करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्य की होगी।
4. सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में पूरक परीक्षा के न्यूनतम अंक जोड़े जावे।
5. इम्पूवमेन्ट द्वारा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पूरे प्राप्तांक ही मेरिट के लिये जोड़े जावे।
6. आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण आदि सभी बिन्दुओं पर प्रवेश विज्ञप्ति एवं निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों में उल्लेखित शर्तों/प्रावधानों की पूर्णरूपेण पालना की जावे।
7. कम्प्यूटराईज्ड श्रेणीवार मेरिट सूचियां संलग्न प्रपत्रों में तैयार कर संबंधित संयुक्त निदेशक जोन से प्रमाणित करा कर दिनांक 16.08.2018 तक इस निदेशालय में विशेष पत्रवाहक के साथ गोपनीय सील बन्द कर लिफाफे में मय हार्ड व सॉफ्ट कोपी में तैयार कर संबंधित लिपिक के साथ निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि माह अगस्त, 2018 में काउन्सलिंग/प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये जा सकें।

8. कार्मिक (A-Gr-II) विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक : एफ7(1)डीओपी/ए-11/2017 दिनांक 21.12.2017 के अनुसार अति पिछडा वर्ग (एमबीसी) के अभ्यर्थियों को एक प्रतिशत आरक्षण देय होगा। अति पिछडा वर्ग (एमबीसी) के अभ्यर्थियों को मोर बैकवर्ड क्लास का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी को उसकी श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा।

“Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the section 4 of the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State of Appointments and Posts in Services under the State) Act 2017, (Act No. 38 of 2017), the State Government hereby, against the aforesaid background, notify that reservation of the appointments and posts in the services under the State for More Backward Classes shall be 1% of the appointments and posts in services under the State. “

9. नर्स श्रेणी द्वितीय/एएनएम के पद पर सीधी भर्ती में निःशक्तजन वर्ग में ओ0 एल0 (One Leg) कटेगरी के अभ्यर्थी ही पात्र है। अतः एएनएम प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु आने वाले निःशक्तजन अभ्यर्थियों के ओ0 एल0 (One Leg) कटेगरी के होने की पुष्टि उपरान्त ही अभ्यर्थियों को एएनएम प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जावे। आप द्वारा प्रवेश के समय ओ0 एल0 (One Leg) कटेगरी के अतिरिक्त किसी अन्य निःशक्तजन को प्रवेश दिया जाता है तो प्रधानाचार्य स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे।
10. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.05.2018 के अनुसार बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ जिले को पूर्ण एवं उदयपुर जिले की कोटडा, झाडोल (तत्कालीन फलासिया), लसाडिया, सलूमबर, सराडा, खैरवाडा, ऋषभदेव एवं गोगुन्दा तहसील तथा गिर्वा तहसील, मावली तहसील के आंशिक ग्राम व वल्लभ नगर तहसील के आंशिक ग्राम, राजसमन्द जिले की कुम्भलगढ एवं नाथद्वारा तहसील के आंशिक ग्राम व चित्तौडगढ जिले तहसील बडी सादडी के आंशिक ग्राम व पाली जिले में बाली तहसील की ग्राम पंचायतों एवं सिरौही जिले की कुछ पंचायतों को अनुसूचित खण्ड माना गया है, के अनुसार आरक्षण देय होगा।
11. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2018-19 से संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में मेरिट सूचियां सभी जिलों से प्राप्त होने के बाद ही काउंसलिंग/प्रवेश प्रक्रिया इस निदेशालय के निर्देशों के अनुसार की जायेगी। अतः उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कर मेरिट सूचियां निर्धारित तिथि तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

अति. निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट 11/2018-19/1475

दिनांक : 7/8/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण केन्द्र संचालित नहीं है। अतः त्रुटिवश किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन आपके कार्यालय में भिजवाया जाता है तो ऐसे आवेदन पत्रों को तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम को भिजवाना सुनिश्चित करे।
2. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को मेल करने का श्रम करे।

अति. निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु प्राप्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के इन्द्राज, छटनी जांच एवं मेरिट सूचियां निम्न प्रपत्र में तैयार कर भिजवाना जाना सुनिश्चित करे:-

प्रपत्र

क्र. स.	नाम/ पिता का नाम	जाति/श्रेणी वर्ग (विधवा/तलाकशुदा/आंगनवाडी)	स्थायी पता	मो0न0	प्राप्तांक/प्रतिशत	बोर्ड